मुकदमा नं.

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–04 / 2024

तारीख दायर–16.05.2024

तारीख–निर्णय–02.8.2024

1. श्री शंकर पिता अमरा मीणा निवासी कूणीयाफला, कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

......प्रार्थी

बनाम

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

अप्रार्थीकी ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बेडासोटा, पटवार हल्का कूण भू.अ.निरीक्षक कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 10 व पुराना 30 में आराजी संख्या 9/1 रकबा 0.2268 है. भूमि स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त आराजी संख्या 9/1 के बिच में से लसाडिया से कानोड सडक मार्ग निकाला गया तब उक्त आराजी का बटवारा किया गया था एक भाग 9/1 आराजी डाला गया व लसाडिया से कानोड सडक मार्ग का 9/2 आराजी डाला गया आराजी संख्या 9/1 का बटवारा करके जो लसाडिया से कानोड सडक निकाली गई वह आराजी संख्या 9/1 के बिच में होके निकाली गई थी बटवारा करते समय आराजी 3 होनी चाहिये थी लेकिन मानविय भुल से 2 ही आराजी रखी गई एक आराजी सडक का रखा गया व दुसरा आराजी जिसका बटवारा किया था उस भाग का लेकिन आराजी 9/1 में मौके पर पुर्व व पश्चिम दिशा में भी प्रार्थी की जमिन स्थित है। और उक्त आराजी के बिच में होकर लसाडिया से कानोड सडक निकाला जिसका आराजी 9/2 पडा। सडक के पुर्व के भाग का 9/1 आराजी डाला गया जबकी सडक के पश्चिम दिशा के भाग का कोई आराजी नम्बर नही डाला गया जो कि एक त्रुटी है उक्त त्रुटी नक्शा में अमल दरामद करते वक्त भुल से हुई है। जिससे दुरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि मौजा बेडासोटा पटवार हल्का कूण तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण पेश होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये गये। विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बेडासोटा पटवार हल्का कूण भू–अभिलेख निरीक्षक कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 10 पुराना 30 में स्थित आराजी नम्बर 9/1 रकबा 0.2268 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। तथा खाता संख्या नया 68 पुराना 58 में स्थित आराजी 9/2 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सार्वजनिक पंथ खण्ड निर्माण विभाग उदयपुर के

उपखण्ड अधिकारी (रा.) लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

नाम दर्ज है। मौके अनुसार राजस्व ग्राम बेडासोटा की पुर्व मे मुल आराजी नम्बर 9 रकबा 0. 2916 हैक्टेयर था जिसके विच में से लसाडिया कानोड सडक निकलने से आराजी 3 भागो में विभक्त हो गया परन्तु वक्त ऑनलाईन तरमीम करने पर उक्त आराजी को 2 भागो में ही विभाजन किया जो मौके अनुसार मध्य में 9/2 सडक के खाते एवं सडक के पुर्व व पश्चिम दिशा में खातेदार की आराजी नम्बर 9/1 व 9 का एक अन्य बटा या मूल नम्बर दिया जाना था लेकिन एक भाग आराजी दिया गया जो 9/1 दिया जो राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के खाते में दर्ज है तथा सडक के दुसरे भाग में कोई आराजी नम्बर नही डाला गया लेकिन उक्त भाग भी प्रार्थी के खाते में दर्ज है जो एक त्रुटी है। मौंके अनुसार मुल आराजी नम्बर 9 रकबा 0. 2916 हैक्टेयर भूमि था जिसके विच में सडक निकलने से आराजी 3 भागो में विभाजन हो गया परन्तु ऑनलाईन तरमिम करने पर आराजी 2 भागों में विभाजन किया गया मौके अनुसार मध्य में आराजी नम्बर 9/2 रकबा 0.0648 जो किस्म सडक दर्ज है व सडक के पुर्व व पश्चिम दिशा में खातेदारों के 9/1 व आराजी नम्बर 09 का एक अन्य बटा नम्बर या मुल नम्बर दिया जाना था सलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज किया जाना उचित हैं। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। सलग्न नजरी नक्शें व मौके अनुसार खाता संख्या 68 (नया) पुराना 58 मध्य में आराजी नम्बर 9/2 रकबा 0.0648 हैक्टेयर सडक के खाते व पुर्व दिशा में खातेदारी की आराजी नम्बर 9/1 रकबा 0.1360 हैक्टेयर व सडक के पश्चिम दिशा में आराजी नम्बर 9 रकबा 0.0908 हैक्टेयर भूमि खातेदारी के नाम दर्ज रहेगी प्रस्तावित नक्शे तरमीम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024.को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner